न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 07/2025

सुभाष गुप्ता पुत्र श्री लूणकरणदास, जाति अग्रवाल निवासी 3–डी–3 जवाहरनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

बनाम

1. बालकिशन पुत्र श्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण, निवासी चक 9 एम0एल, लड्डावाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. एच०डी०एफ०सी बैंक लिमिटेड, शाखा सादुलशहर, श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री प्रदीप सिहाग	– – प्रार्थी
2.	श्री सुभाष मिढढा	– – अप्रार्थी 1
3.	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	– – अप्रार्थी 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–24.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी वाद पत्र प्रार्थी द्वारा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतू माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र के स्वीकार होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावृति निवारण हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग मान कर पढ़ा जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से सर्वप्रथम चक 9 एम0एल, लड्डावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/52 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 13/2 ता 25 में कुल 3.163 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को बेचान करने के पश्चात वर्तमान खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 11 कि किला नम्बर 20/4 में 0.144 हैक्टेयर एवं किला नम्बर 21/2 में 0.126 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अंकित रही है जिसमें से प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की 0.126 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांकित 30.04.2014 के द्वारा खरीद की जा चुकी है जिसका अंकन जमाबंदी में प्रार्थी द्वारा नहीं करवाया गया है जिस कारण उक्त मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की कुल 0.126 हैक्टेयर भूमि गलत रुप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2063–2066 एवं छायाप्रति विक्रय विलेख दिनांकित 30.04.2014 सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से तत्कालीन समय वर्ष 2014 में अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 के स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित खाता संख्या 64/ 52 में दर्ज कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 की 0.127 हैक्टेयर नहरी भूमि जो पश्चिमी हिस्सा गांव लड्डावाली के साथ लगती हुई रहन मुक्त पाक–साफ हालत में जैसी मौका पर स्थित थी, को जरिये बैयनामा दिनांक 30.04.2014 क्रय कर कब्जा उसी रोज प्राप्त कर लिया गया था। प्रार्थी द्वारा अब अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु जब बैंक के समक्ष विक्रय विलेख लेकर गया तो बैंक कर्मचारियों द्वारा संबंधित जमाबंदी लाने को कहा गया तो प्रार्थी को सर्वप्रथम यह ज्ञान हुआ कि कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात उसका अंकन भी राजस्व रिकॉर्ड में करवाना होता है जो स्वतः ही दर्ज न हो क्रेता को तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र मय बैयनामा की प्रति प्रस्तुत कर अंकन करवाने की सामान्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है। प्रार्थी जब तहसील परिसर में जाकर इस संबंध में कार्यवाही करनी चाही तो प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी द्वारा उक्त क्रयशुदा भूमि वर्तमान में खाता संख्या 64 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चल रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं को स्वामी होना दर्शित कर, वादी की कृषि भूमि पर कृषि ऋण भी अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त कर लिया गया है जिसका वह विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 18.01.2025 को बमुकाम चक 9 एम0एल अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा भूमि को रहन मुक्त करवाने हेतु कहा गया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया तथा खाता संख्या 64 में दर्ज कुल 0.270 हैक्टेयर कृषि भूमि का स्वयं को मालिक होना बताया जाकर प्रार्थी को मालिक होने से इंकार कर दिया गया। इस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 के मन में अब बदनियति आ गई है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि को उसके नाम अंकन करवाने में विधिक अड़चन पैदा करने की नियत से उक्त कृषि भूमि को रहन मुक्त नहीं करवा रहा है तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि का अंकन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत रुप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने का अनुचित लाभ उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 से मिलिभगत कर कृषि ऋण प्राप्त कर लिया गया है एवं अब प्रार्थी को उक्त भूमि का स्वामी होने से इंकार कर प्रार्थी के कब्जा काश्त क्रयशुदा भूमि में से बलपूर्वक बेदखल कर उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दे रहा है। चक 9 एम0एल, लड्डावाली, श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की कुल 0.126 हैक्टेयर भूमि की कब्जा काश्त खरीद के समय से ही लगातार प्रार्थी के पास चली आ रही है ऐसे में अगर प्रार्थी को उसकी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरन बेदखल कर दिया जाता है या प्रार्थी के द्वारा क्रयशुदा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उत्पन्न होगा जिससे पक्षकारगण में आपस में लडाई झगडा होने का अंदेशा रहेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 30.04.2014 के द्वारा रहन मुक्त पाक साफ दशा में विक्रय की गई थी जिसका अंकन प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे न करवाये जाने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से गलत रूप से चल रही है। उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि बताई जाकर अप्रार्थी संख्या 2 कृषि ऋण प्राप्त कर लिया गया है ऐसे में खाता संख्या 64 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 11 कि किला नम्बर 20/4 की 0.144 हैक्टेयर एवं किला नम्बर 21/2 की 0.126 हैक्टेयर यानि कुल 0.270 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के संबंध में स्थगन जारी किया जाना अति–आवश्यक है चूंकि अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 के नाम खाता संख्या 64 में दर्ज कुल 0.270 हैक्टेयर भूमि में से अगर प्रार्थी के हिस्से की किला नम्बर 21/2 की 0.126 हैक्टेयर भूमि की हद तक स्थगन जारी किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को खाता संख्या 64 के किला नम्बर 20/4 की 0.144 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार होने की दशा में उक्त भूमि पर स्थगन जारी नहीं किया जाता है तो वाद के विचाराधीन रहते अगर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 विक्रय कर देता है तो प्रार्थी के हिस्से पर प्राप्त किये गये कृषि ऋण की अदायगी अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी से प्राप्त करेगा एवं प्रार्थी की भूमि पर जो कृषि ऋण गलत रुप से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त किया गया है उसकी वसूली अप्रार्थी संख्या 1 से करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। ऐसे में खाता संख्या 64 में दर्ज कुल 0.270 हैक्टेयर पर स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है एवं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में ता फैसला इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावें कि वादाधीन कृषि भूमि चक 9 एम0 एल, लड्डावाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.270 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की कृषि भूमि चक 9 एम0 एल, लड्डावाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/52 में दर्ज कुल 3.163 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 की 0.127 हैक्टेयर नहरी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.04.2014 के खरिदशुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य किसी को विक्रय करने अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित करने से रोकने हेतु उक्त भूमि पर स्थगन चाहा गया है। मूल वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना है। इसलिए मूल के निस्तारण में समय लगेगा। विवादास्पद भूमि के बैय अथवा अन्य किसी को हस्तान्तरित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य समाप्त हो जायेगा एवं पक्षकारो के मध्य वाद विवाद बढ़ेगा। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.01.2025 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गोयल) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner